भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2513

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2024

एससी/ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग

2513. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा आईआईटी तथा यूपीएससी की तैयारी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और वे उक्त योजना के अंतर्गत नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने का विचार है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और सरकारी/निजी क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रामानुजगंज, बलरामपुर और सूरजपुर में गरीब अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के छात्रों/अभ्यर्थियों को उक्त योजना से लाभ होने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): मंत्रालय में इस समय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए कोई स्कीम नहीं है।

तथापि, मंत्रालय अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (जिनकी पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है) के उम्मीदवारों को रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करने के उद्देश्य से 'अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग (एफसीएस)' नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

इस स्कीम के अंतर्गत, प्रति वर्ष 3,500 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं और अनुसूचित जाति और ओबीसी उम्मीदवारों का अनुपात 70:30 तय किया गया है।

(ग) और (घ): वर्ष 2023-24 से, यह स्कीम डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा सूचीबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित डॉ. अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से लागू की जा रही है। आज की स्थिति के अनुसार, 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने डीएएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (छत्तीसगढ़ राज्य) के रामानुगंज, बलरामपुर और सूरजपुर क्षेत्र में स्थित है। तथापि, विश्वविद्यालय ने आज की तारीख तक इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

अनुबंध

'एससी/ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2513 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
3.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
4.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग
5.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
6.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
7.	बीएचयू, वाराणसी
8.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
9.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
10.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर
11.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
12.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर
13.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
14.	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड
15.	बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ
16.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
18.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
19.	आंध्र प्रदेश का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

******